[27/3/2023]

विधान सभा तारांकित प्रश्न- प्रश्न सं. [क्र. 2457] के उत्तरांश "क" का परिशिष्ट "अ"
प्रश्नकर्ता- श्री संजय शुक्ला।
कुल पृष्ठ 1 से 2 तक
चर्चा दिनांक- 27.03.2023

1

NATIONAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
लिंक रोड न 03 पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./आशा/2021/14299 भोपाल, दिनांक 21.12.2021

//आदेश//

प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांकों की स्थिति में सुधार लाने के परिप्रेक्ष्य में आशाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियों हेतु प्रोत्साहन राशि में तथा आशा पर्यवेक्षकों के दैनिक यात्रा भत्ते में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आशाओं द्वारा संपादित की जाने वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियां एवं उनमें देय प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :-

क्र	गतिविधि	आशा द्वारा किया जाने वाला कार्य	एनएचएम से देय प्रोत्साहन राशि	राज्य शासन से देय प्रोत्साहन राशि	कुल देय प्रोत्साहन राशि
	1	2	3	4	5
1	गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में पंजीयन कराने पर	निश्चयकिट से गर्भावस्था की जांच कर आशा डायरी (एवं आर सी एच रजिस्टर में एएनएम द्वारा) पंजीयन, फॉलिक एसिड की गोलियां देना तीन माह तक तथा द्वितीय त्रैमास में एल्बेंडाजोल की गोली तथा आईएफए की गोली प्रदाय किया जाना एवं एक जांच तत्काल एमओ से कराया जाना।	100	100	200
2	जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसव पूर्व 4 एएनसी जांच पूर्ण होने एवं संस्थागत प्रसव होने पर	प्रसव पूर्व 04 जांच पूर्ण करवाना तथा संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित किया जाना।	600	600	1200
3	गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाने एवं उसके चार फॉलोअप करने हेतु।	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल में 04 बार या हीमोग्लोबिन का स्तर 11mg/dl होने पर।	400	400	800
4	प्रसव पश्चात महिला एवं नवजात शिशु की घर पर देखभाल हेतु भ्रमण (एच.बी.एन.सी)	3,7,14,21,28,42 दिनों तक आशा द्वारा गृह भ्रमण किया जाता है।	250	250	500
5	कम वजन वाले एवं एसएनसीयू से डिस्चार्ज शिशुओं का फॉलोअप (उच्च जोखिम वाले	ज्यादा खतरे की श्रेणी में आने वाले शिशु (कम वजन के, समय पूर्व जन्में एवं एसएनसीयू से डिस्चार्ज बच्चे) के घर का आशा द्वारा 01 से 07 दिवस	200	200	400

(डॉ. शैलेन्द्र कुमार साकल्ले)

	नवजात शिशुओं की पहचान एवं प्रबंधन)	तक लगातार इसके पश्चात 09 से 28 दिन तक हर दूसरे दिन तथा 29 दिन से 56 दिवस तक प्रति सप्ताह भ्रमण किया जाता है।			
6	शिशु का प्रथम वर्ष में पूर्ण टीकाकरण	आशा इस उम्र के बच्चो की लाईन लिस्टिंग करके उन्हें टीकाकरण दिवस पर आंगनवाड़ी केन्द या टीकाकरण होने वाले स्थान पर लाती है।	100	100	200
7	शिशु का द्वितीय वर्ष में पूर्ण टीकाकरण		75	75	150

1. आशा पर्यवेक्षकों को दिये जाने वाला दैनिक यात्रा भत्ता वर्तमान देय रू. 50/– के स्थान पर रू. 100/– प्रतिदिन देय होगा।
2. उपरोक्तानुसार दर्शित सारणी के कॉलम कमांक 03 में वर्णित प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से विकलनीय होगी। कॉलम कमांक 04 में वर्णित प्रोत्साहन राशि एवं कंडिका कमांक 01 के अनुसार आशा पर्यवेक्षक को दिया जाने वाला अतिरिक्त यात्रा भत्ता राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट से विकलनीय होगा।
3. यह आदेश 01 जनवरी 2022 से प्रभावशील होगा।

(अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश

कमांक/एनएचएम/ आशा/2021/14300 भोपाल, दिनांक 21.12.2021

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मप्र शासन, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त सह सचिव, मप्र शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
5. अतिरिक्त संचालक, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उपसंचालक, आईटी, एनएचएम की ओर ईवित्त में उक्तानुसार गतिविधियों की प्रविष्टि कराने हेतु।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त बीएमओ, डीपीएम, डीसीएम/एपीएम, बीसीएम को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश

(डॉ. शैलेष कुमार साकल्ले)
उपसंचालक, आशा कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश